

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मगाराम पुत्र शोभाराम
2. देराजराम पुत्र शोभाराम
3. धुडाराम पुत्र शोभाराम
4. रामाराम पुत्र शोभाराम
5. हजारीराम पुत्र शोभाराम
6. हनुमानराम पुत्र शोभाराम जातियान सुथार निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. अजु देवी पत्नी अमरसिंह
2. खेताराम पुत्र दीपाराम
3. गोपी देवी पत्नी पूर्णदान
4. टीपूदेवी पत्नी केशराराम
5. प्यारी पत्नी हीरसिंह
6. मूमल देवी पत्नी करणीदान
7. रामा पुत्र दीपाराम
8. लुम्बाराम पुत्र हरजीराम
9. लेहरों देवी पत्नी तुलछा
10. चम्पादेवी पत्नी मेहराराम निवासी नाकोड़ा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
11. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक-13.08.2024

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि मौजा- नाकोड़ा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 45 रकबा 12.6609 भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 18.06.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारों का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजाने का अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 से 6 का प्रतिवादा अंतिम स्वीकार किया जाकर मौजा- नाकोड़ा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 45 रकबा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाता है।

| क्र. सं. | नाम खातेदारान | गांव का नाम | खसरा नं. | रकबा (हैक्टर में) | किस्म भूमि | लगान (रु०) | वर्ग |
|----------|---|-------------|----------|-------------------|------------|------------|----------|
| 1. | देराजराम हि. 1/6 धूडाराम हि. 1/6 मगाराम हि. 1/6 रामाराम हि. 1/6 हजारीराम हि. 1/6 हनुमानराम हि. 1/6 पि शोभाराम जाति सुथार सा. सिणधरी | नाकोडा | 45 | 4.1259 | बा.सो. | 0.25 | गुलाबी |
| 2. | चम्पा पत्नि मेहराराम जाति कुम्हार सा. सिणधरी चौसीरा | नाकोडा | 45 | 0.0566 | बा.सो. | 0.01 | आसमानी |
| 3. | अंजूदेवी पत्नी अमरसिंह जाति रावणा राजपूत सा. नाकोडा | नाकोडा | 45 | 0.3155 | बा.सो. | 0.02 | पीला |
| 4. | गोपीदेवी पत्नि पूर्णदान जाति चारण सा.सिणधरी | नाकोडा | 45 | 1.3753 | बा.सो. | 0.08 | लाल |
| 5. | टीपूदेवी पत्नि केसराराम जाति जाट सा. सिणधरी | नाकोडा | 45 | 1.4805 | बा.सो. | 0.09 | नारंगी |
| 6. | प्यारी पत्नी हीरसिंह जाति रावणा राजपूत सा.सिणधरी चौसीरा | नाकोडा | 45 | 0.3155 | बा.सो. | 0.02 | भूरा |
| 7. | मूमलदेवी पत्नी करणीदान जाति चारण सा.सिणधरी | नाकोडा | 45 | 1.2540 | बा.सो. | 0.07 | हरा |
| 8. | लूम्बाराम पुत्र हरजीराम जाति जाट सा.सिणधरी | नाकोडा | 45 | 0.3722 | बा.सो. | 0.02 | गहरा हरा |
| 9. | लेहरोदेवी पत्नी तुलछा जी जाति घांची सा. सिणधरी | नाकोडा | 45 | 0.6310 | बा.सो. | 0.04 | चमकीला |
| 10. | खेता पुत्र दीपा हि. 132/301 रामा पुत्र दीपा हि. 85/301 जाति वजीर हरीराम पुत्र चिमनाराम हि. 77/301 जाति सुथार सा. सिणधरी चम्पा पुत्र मेहराराम हि. 7/301 जाति कुम्हार सा. सिणधरी चौसीरा | नाकोडा | 45 | 2.4351 | बा.सो. | 0.14 | सफेद |
| 11. | सम्पूर्ण खातेदार यथावत (खाता नं. 4) (सड़क/मार्ग हेतु प्रस्तावित) | नाकोडा | 45 | 0.2427 | बा.सो. | 0.01 | नीला |
| | | | 45 | 0.0566 | बा.सो. | 0.01 | |
| | | | योग | 0.2993 | | 0.02 | |

तहसीलदार,सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
पीठासीन अधिकारी:- श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.
उनवान

वादीगण

1. मगाराम पुत्र शोभाराम
 2. देशजराम पुत्र शोभाराम
 3. धुडाराम पुत्र शोभाराम
 4. रामाराम पुत्र शोभाराम
 5. हजारीराम पुत्र शोभाराम
 6. हनुमानराम पुत्र शोभाराम
- जातियान सुथार निवासी नाकोडा
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अन्तु देवी पत्नी अमरसिंह
2. खेताराम पुत्र दीपाराम
3. गोपी देवी पत्नी पूर्णदान
4. टीपूदेवी पत्नी केशराराम
5. प्यारी पत्नी हीरसिंह
6. मूमल देवी पत्नी करणीदान
7. रामा पुत्र दीपाराम
8. लुम्बाराम पुत्र हरजीराम
9. लेहरों देवी पत्नी तुलछा
10. चम्पादेवी पत्नी मेहराराम निवासी नाकोडा
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
11. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:- 88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :- 25/2022

निर्णय दिनांक :- 13.08.2024

वादी की ओर से श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 व 3 से 6 व 8 से 10 स्वयं की उपस्थिति एवं राज. पैरोकर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.08.2024 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी सं. 1 के 3 से 6 व 8 से 10 का प्रतिदावा अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 13.08.2024 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 13.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

3
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| | रूपया | | रूपया |
| वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | 1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | 2.अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | 3.प्लीडर की फीस | |
|रूपये पर प्लीडर की फीस | | 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | 5.आदेशिका की तामील | |
| कमिश्नर की फीस | | 6.कमिश्नर की फीस | |
| आदेशिका की तामील | | | |
| | जोड़ | | जोड़ |